भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8 बी/राज0/04/07/2017/एफ.सी./825 दिनॉक: 15.02.2018

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

ऑनलाइन आवेदन संख्या– FP/RJ/Trans/18259/2016

विषय: **Diversion of 19.7432 ha. of forest land for 400 KV S/C extending form 765/400 KV GSS to 400/220 GSS PGCILs Kota in Bundi and Kota Districts in favour of RRVPNL wihotut felling of trees- reg.**

सन्दर्भ– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हाफॅ), जयपुर का पत्रांक– एफ14(RRVPN)/2016/एफसीए/प्रमुवसं/506, दिनांक–17.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), जपपुर का पत्रांक एफ14(RRVPNL)2016/एफसीए/प्रमुवसं/1303, दिनांक– 11.05.2017 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 28.07.2017 द्वारा प्रकरण मे सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं समसंख्यक पत्र दिनांक– 22.08.2017 को शुद्धि पत्र जारी किया गया था। जिसकी अधुरी अनुपालना अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान के पत्रांक–एफ14(RRVPN)/2016/एफसीए/प्रमुवसं/4387, दिनांक– 30.11.2017 द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। प्रकरण में पुनः इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 21.12.2017 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हाफॅ), जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 19.7432 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने वनभूमि अर्थात 39.4864 है0 (19.7432x2= 39.4864 है0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित ट्रान्समिशन लाइन के नीचे बौने पौधो (विशेषकर औषधीय पौधे) का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।

4. यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

5. पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।

6. पारेषण लाईन के लिए राइट आफ वे (right of way) की चौडाई 46 मीटर तक सीमित रहेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समुचित स्थानो पर सर्किट अवरोधक (circuit breakers) लगाए जाएगे। साथ ही अन्य प्राणियों को विद्युत स्पर्शघात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउन्ड क्लीयरेस (ground clearance) स्वयं सुनिश्चित किया जाएगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्योजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायगा।

9. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

10. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

13. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

14. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत् स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।

15. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

16. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देश का पालन करेगी।

17. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार को इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रमुख सचिव(वन), सिविल सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
4. उप वन संरक्षक, बूंदी/कोटा, राजस्थान।
5. अधिशासी अभियन्ता, टी0एण्डसी0, आर0आर0वी0पी0एन0एल0, नियर थर्मल सर्किल, सकतपुरा कोटा राजस्थान।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)